छत्तीसगढ़ शासन

# औद्योगिक नीति 2014—2019

**(Make In Chhattisgarh)**

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**
**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**
**::मंत्रालय::**
**महानदी भवन, नया रायपुर**

**—::अधिसूचना::—**

नया रायपुर, दिनांक 28.01.2015

क्रमांक एफ 20—36/2014/11/(6) — राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न अनुसार ''औद्योगिक नीति 2014—19'' लागू करता है। उक्त ''औद्योगिक नीति 2014—19'' दिनांक 01 नवंबर 2014 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/—
**(सुबोध कुमार सिंह)**
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

# औद्योगिक नीति 2014–19

## तालिका


| क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्तावना | 4–5 |
| 2. | उद्देश्य | 6–7 |
| 3. | रणनीति | 7–8 |
| 4. | औद्योगिक अधोसंरचना हेतु कार्य योजना – (अ) औद्योगिक क्षेत्रों एवं भूमि बैंक की स्थापना | 8–9 |
| | कार्य योजना – (ब) औद्योगिक भूमि प्रबंधन | 9–10 |
| 5. | सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को विपणन सहायता | 10 |
| 6. | उद्यमिता विकास | 10–11 |
| 7. | निर्यात | 11–12 |
| 8. | उद्योग मित्र | 12 |
| 9. | सिंगल विंडो प्रणाली | 12 |
| 10. | श्रम सुधार | 12–13 |
| 11. | मानव संसाधन विकास | 13 |
| 12. | क्लस्टर विकास | 13 |
| 13. | ब्रांड – विश्वसनीय छत्तीसगढ़ | 13–14 |
| 14. | उद्योगों के दायित्व | 14 |
| 15. | औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन | 14–17 |
| 16. | उद्योगों को गैर वित्तीय सुविधाएं | 17 |
| 17. | क्रियान्वयन अवधि व समीक्षा | 18 |


## परिशिष्ट


| क्रमांक | विवरण | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1. | परिभाषाएं | 19–30 |
| 2. | संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची) | 31 |
| 3. | प्राथमिकता उद्योगों की सूची | 32–33 |
| 4. | कोर सेक्टर के उद्योगों की सूची | 34 |
| 5. | औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन ( अनुदान, छूट एवं रियायतें) | 35–42 |
| 6 | अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को विशेष आर्थिक पैकेज | 43–47 |
| 7. | औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची | 48 |
| 8. | औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची | 49 |
| 9. | गैर वित्तीय सुविधाएं | 50 |

# औद्योगिक नीति 2014–2019

## (1) प्रस्तावना (Preface)

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन विकास की अपार संभावनाओं के साथ हुआ था । राज्य अपनी आर्थिक शक्तियों जैसे अपार खनिज संपदा, 44 प्रतिशत वन क्षेत्र, शांत श्रम माहौल, आवश्यक बुनियादी ढांचें की उपलब्धता एवं सुशासन की बदौलत देश में निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपने को स्थापित करने में सफल रहा है । यह राज्य सड़क, रेल एवं वायु संपर्क के माध्यम से देश के सभी प्रमुख मेट्रो शहरो से जुड़ा हुआ है। राज्य की राजधानी ''नया रायपुर'' देश के प्रथम ''स्मार्ट सिटी'' के रूप में विकसित हो रही है, यहां भूमिगत विद्युत आपूर्ति एवं संचार सुविधाओं का नेटवर्क नियोजित है। देश में विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं जीरो पावर कट के रूप में इस राज्य की पहचान बन चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत दरें अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम है। गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं खनिजों की बहुलता के कारण राज्य में सीमेन्ट, स्टील, एल्युमिनियम की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में कम है।

राज्य में पारदर्शी एवं जनोन्मुखी प्रशासन हेतु Ease of Doing Business कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी प्रकार की स्वीकृतियां, अनुमोदन आदि जारी करने के लिए आन–लाईन प्रक्रिया लागू की जा रही है। प्रक्रियाओं के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है तथा Deemed Approval का प्रावधान भी किया गया है/किया जा रहा है। सत्यापन आदि के लिए स्वप्रमाणन का प्रावधान भी रखा गया है। उपयुक्त भौगोलिक स्थिति (Location), प्रचुर नैसर्गिक संसाधन, आदर्श मूल्य पर भूमि की उपलब्धता, कुशल श्रमिक, गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति, कम लागत मूल्य, पारदर्शी प्रशासन आदि कारकों से यह राज्य निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहा है।

1.2 राज्य में सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना के आधार पर राज्य के गठन के पश्चात ''औद्योगिक नीति 2001–06'', ''औद्योगिक नीति 2004–09'' एवं ''औद्योगिक नीति 2009–14'' लागू की गई । राज्य की तृतीय औद्योगिक नीति 2009–14 के सफल कियान्वयन से राज्य में औद्योगिक विकास की दर 6.07 प्रतिशत रही। वर्ष 2009–10 में राज्य से रूपये 1675 करोड़ का निर्यात हुआ था, जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर रूपये 7701 करोड़ हो गया । राज्य के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से केन्द्रीय शुल्क एवं सेवा कर के रूप में वर्ष 2009–10 में रूपये 4470 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था, जबकि वर्ष 2012–13 में रूपये 7889.76 करोड़ के राजस्व का अर्जन हुआ। राज्य में औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन के रूप में विगत 5 वर्षों में लगभग 252 करोड़ रूपये के अनुदान दिए गए। साथ ही रूपये 30.71 करोड़ की राशि का मुद्रांक शुल्क से छूट दी गई एवं 159 उद्योगों को विद्युत शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी किए गए । 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सेक्टर में 7.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

1.3 राज्य गठन के पश्चात राज्य में उपलब्ध कोयला, लौह अयस्क, बाक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि खनिज संपदाओं के दोहन हेतु कोर सेक्टर के विकास की नीति अपनायी गयी थी । इस नीति के तहत उद्योग विभाग द्वारा स्टील, सीमेन्ट एवं एल्यूमिनियम परियोजनाओं द्वारा निष्पादित 121 एमओयू में से 60

एमओयू के अंतर्गत परियोजनाएं प्रारंभ/विस्तारित हो चुकी है तथा शेष 61 एमओयू के अंतर्गत परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर है । इन परियोजनाओं में 44000 करोड़ रूपये से अधिक राशि का पूंजी निवेश हो चुका है । ऊर्जा विभाग द्वारा पावर संयंत्रों की स्थापना हेतु निष्पादित 73 एमओयू में कुल 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के विरूद्ध लगभग 20,000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है जिनमें लगभग रूपये 1,20,000 करोड़ का पूंजी निवेश होगा। कोर सेक्टर में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है । अब राज्य शासन ने नान–कोर सेक्टर यथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, आटोमोटिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, आईटी सेक्टर, फार्मास्युटिकल, हेल्थ केयर, पर्यटन, स्किल डेव्हलपमेंट, वनोपज पर आधारित उद्योग आदि में निवेश प्रोत्साहन की नीति को अपनाया है । इसी उद्देश्य से वर्ष 2012 में राज्य में प्रथम बार ''ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2012'' का सफल आयोजन किया गया, जिसमें नान–कोर सेक्टर के उद्योगों के लिए 275 एमओयू एवं 155 ई.ओ.आई. का निष्पादन किया गया । राज्य में नान–कोर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012'', आटोमोटिव उद्योग नीति 2012'', ''सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2012–17'' तथा ''सोलर पालिसी 2012–17'' लागू की गई है । राज्य में 1500 से अधिक राइस मिलें, 200 से अधिक दाल मिलें, 200 से अधिक पोहा मिलें तथा 20 से अधिक खाद्यान्न तेल मिलों की स्थापना से राज्य में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन हो रहा है।

1.4 राज्य में "रेल्वे कारीडोर" की स्थापना की प्रस्तावित योजना राज्य शासन एवं भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है । इस योजना के अन्तर्गत दो रेल्वे कारीडोर (ईस्ट कारीडोर एवं ईस्ट– वेस्ट कारीडोर) 300 कि.मी. की लंबाई एवं दल्ली राजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल्वे परियोजना 235 कि.मी. लंबाई में बनायी जानी है जिसके लिये एम.ओ.यू. निष्पादित हो चुके है व इन लाईनों के निर्माण से राज्य में औद्योगिक विकास के क्रांतिकारी परिणाम आयेगें।

1.5 भारत सरकार द्वारा सूरत (गुजरात) से पाराद्वीप (उड़ीसा) तक गैस पाईप लाईन बिछाने की योजना है, जिसके तहत् गैस पाईप लाईन की मुख्य ट्रंक पाईप लाईन राज्य के राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर एवं महासमुंद जिलों से होकर निकलेगी, जिसका प्रभाव इन जिलों व निकटवर्ती जिलों के औद्योगिक विकास पर भी सकरात्मक रूप से होगा।

1.6 राष्ट्र में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक परिवेश में बड़े पैमाने में परिवर्तन हो रहे है, इस परिवर्तन को ध्यान में रखते औद्योगिक नीति 2014– 19 की रूपरेखा तैयार करते समय राज्य के उद्योग संघों, उद्योगपतियों, विभागीय अधिकारियों, राज्य शासन के औद्योगिक विकास से संबंधित विभाग प्रमुखों आदि के साथ विचार–विमर्श किया गया है। महत्वपूर्ण विचारों एवं सुझावों को सम्मिलित करते हुये ''औद्योगिक नीति 2014–19'' तैयार की गई है, जो औद्योगिक विकास की एक नई दिशा तय करेगी तथा ''छत्तीसगढ़'' देश में तीव्रता से औद्योगिक विकास कर रहे राज्यों में आने वाले दशक में सिरमौर होगा।

## (2) उद्‌देश्य (Objective)

**2.1** भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना Make in India की भांति राज्य में Make in Chhattisgarh की योजना को क्रियान्वित करने हेतु Make in India के अन्तर्गत आने वाले विनिर्माण से संबंधित क्षेत्रों को राज्य में प्राथमिकता से बढ़ावा देना।

2.2 राज्य के समग्र एवं तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निर्मित सकारात्मक माहौल का लाभ लेते हुए वर्ष 2024 तक देश के प्रमुख औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों के समकक्ष छत्तीसगढ़ राज्य को लाना।

2.3 राज्य के मूल निवासियों को स्व–उद्यम की ओर प्रेरित करना तथा उद्योगों में मूल निवासियों को नौकरी एवं रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना।

2.4 स्थापित हो रहे उद्योगों के अतिरिक्त राज्य में ऐसी विविध औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करना, जो अब तक स्थापित नहीं हुई है।

2.5 राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने एवं विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए अनुकूल वातावरण बनाना एवं उपयुक्त अधोसंरचना विकसित करना।

2.6 राज्य में पूंजी निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी एवं सुगम बनाकर तथा अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देकर औद्योगिक निवेश की गति को तीव्र करते हुए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना।

2.7 राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में औद्योगिक विकास हेतु अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देकर संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।

2.8 प्रदूषण मुक्त, कौशल आधारित उद्योग यथा– आई.टी., जैव प्रौद्योगिकी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज, हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण, ऑटोमोबाईल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, व्हाईट गुड्स, नवीन एवं नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के उपकरणों, टेक्सटाइल एवं कोर सेक्टर पर आधारित डाउन स्ट्रीम उद्योगों तथा रोजगार प्रधान लघु उद्योगों को प्राथमिकता से स्थापित करना।

2.9 औद्योगिक विकास की मुख्य धारा में समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति, विकलांग (निःशक्त), सेवानिवृत्त सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों एवं महिला उद्यमियों को लाने हेतु अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देना।

2.10 औद्योगिक अधोसंरचना के निर्माण एवं संधारण में निजी क्षेत्र को भागीदारी देना।

2.11 उपलब्ध खनिज एवं वन सम्पदा तथा संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन करते हुए स्थानीय स्तर पर उद्योगों का जाल बिछाकर जनसामान्य के जीवन स्तर में वृद्धि करना।

2.12 राज्य के स्थानीय नागरिकों के कौशल विकास में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

2.13 राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज/ उत्पादों हेतु भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना।

## (3) रणनीति (Strategy)

3.1 Ease of Doing Business के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाहियां की जा रही है–

(i) आवेदन पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की संख्या यथासंभव कम करना एवं उनका सरलीकरण।

(ii) यथासंभव दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों का स्वप्रमाणीकरण।

(iii) अनुमति/अनुमोदन/स्वीकृति आदि जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना एवं उनकी संख्या में कमी करना।

(iv) प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए समय–सीमा का निर्धारण तथा निर्धारित समय–सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर Deemed Approval के प्रावधान करना।

(v) कार्यों का ऑन–लाईन निष्पादन।

(vi) निरीक्षण के माध्यम से सत्यापन किये जाने की प्रक्रिया के स्थान पर स्व–प्रमाणन की व्यवस्था करना।

3.2 राज्य में छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। निवेशकों के द्वारा राज्य में परियोजनाओं की स्थापना एवं कियान्वयन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियों के मामलों की बोर्ड के द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाती है एवं निर्णय लिये जाते हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय प्रचलित राज्य के अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत लिये गये निर्णयों पर over riding होगें। इसी प्रकार निवेशकों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन किया गया है।

3.3 राज्य में औद्योगिक तथा अधोसंरचना परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में आ रही कठिनाईयों/समस्याओं के निराकरण की मॉनीटरिंग हेतु "State PMG" पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

3.4 राज्य में कार्यरत् उद्योगों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु एक पृथक पोर्टल विकसित किया जावेगा जिससे उद्योगों को उनके आवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी आसानी से ज्ञात हो सकेगी।

3.5 राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु जिलावार उपयुक्त व संभाव्य स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तथा इस प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की पारदर्शी प्रणाली अपनायी जाना।

3.6 वृहद्, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु युक्तियुक्त ढंग से भूमि बैंक की स्थापना ।

3.7 अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना ।

3.8 राज्य में बीमार एवं बंद पड़े उद्योगों के पुर्नस्थापन हेतु पृथक नीति बनाई जायेगी।

3.9 औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा वृहद् उद्योगों के सुदृढ़ीकरण हेतु– उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पादन प्रणाली का तकनीकी उन्नयन, वित्त पोषण में सहायता, निवेश एवं विपणन सुविधाओं का सरलीकरण एवं अधिकारों का और अधिक विकेन्द्रीकरण करना ।

3.10 शासन की योजनाओं से उद्यमियों एवं नवयुवकों को प्रभावी ढंग से अवगत कराया जाना।

3.11 समयबद्ध अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो प्रणाली का विकास करना ।

3.12 निगरानी मूल्याकंन एवं शिकायत निवारण तंत्र हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभावी व्यवस्था करना।

## (4) औद्योगिक अधोसंरचना हेतु कार्य योजना (Action Plan)

(4.1) <u>औद्योगिक क्षेत्रों एवं भूमि बैंक की स्थापना :–</u>

**4.1.1** राज्य के समस्त जिलों में औद्योगिक दृष्टि से सम्भाव्य स्थानों पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु सर्वसुविधायुक्त नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना । औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन नोडल एजेंसी होगा।

**4.1.2** नया रायपुर में प्रदूषण मुक्त उद्योगों की स्थापना की जावेगी ।

**4.1.3** राज्य के स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का यथासंभव विस्तार किया जावेगा ।

**4.1.4** निजी क्षेत्र में यथा आवश्यक औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

**4.1.5** राज्य शासन एवं भारत सरकार की प्रस्तावित "रेल कारीडोर योजना" एवं दल्लीराजहरा–रावघाट– जगदलपुर रेल्वे परियोजना के कार्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकित कर रखी जावेगी।

**4.1.6** नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रों हेतु पहुंच मार्ग, स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार, भूमि बैंक आदि की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को भूमि क्रय करने के अधिकार देते हुए सशक्त बनाया जावेगा।

**4.1.7** स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना हेतु बहुमंजिला औद्योगिक शेड–भवन बनाये जावेगें तथा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के युक्तियुक्त उपयोग हेतु रिक्त भूमि पर भी बहुमंजिला भवन/शेड बनाये जायेगें।

**4.1.8** राज्य में औद्योगिक भूमि की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु दीर्घकालीन योजना को दृष्टिगत रखते हुये 10000 हेक्टेयर भूमि का भूमि बैंक विकसित किया जावेगा।

**4.1.9** भूमि बैंक हेतु किये जाने वाले निजी भूमि के अर्जन, शासकीय भूमि के हस्तांतरण में न्यूनतम 20% आबंटन योग्य भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को आबंटित करने हेतु आरक्षित रखी जावेगी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जावेंगे।

**4.1.10** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना लागत को कम करने हेतु नये औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्र/विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु भूमि आरक्षित की जावेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक/पेय जल की आपूर्ति हेतु युक्तियुक्त व्यवस्था की जायेगी तथा संचार सुविधाओं हेतु भी भूमि आरक्षित रखी जावेगी।

**4.1.11** औद्योगिक क्षेत्रों का संधारण राज्य शासन/सीएसआईडीसी द्वारा किया जाता है, किन्तु इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा सम्पत्ति कर एवं अन्य स्थानीय कर वसूल किये जाते है जिनके युक्तियुक्तकरण हेतु अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये जावेंगे।

**4.1.12** समूह आधारित उद्योगों के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा स्वयं/पीपीपी मॉडल में विशेष पार्क स्थापित किये जावेंगे जैसेः– जेम्स एवं ज्वेलरी (एस.ई.जेड.), फुड प्रोसेसिंग पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, रेलवे सहायक उद्योग काम्पलेक्स, एल्युमिनियम पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, कोर सेक्टर पर आधारित डाउन स्ट्रीम उद्योग पार्क, सोलर एवं सोलर आधारित उत्पाद पार्क, हर्बल पार्क, प्लास्टिक पार्क तथा इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद पार्क इत्यादि।

**4.1.13** औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण हेतु गठित अधोसंरचना निगरानी समितियों को प्रभावी बनाया जावेगा।

**4.1.14** औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार उच्च भारवहन क्षमता की आर.सी.सी. सड़कें, उच्च गुणवत्तायुक्त विद्युत का सतत् प्रदाय, जल प्रदाय, टूल रूम/टेस्टिंग लैब, फायर ब्रिगेड, भण्डारण, संचार सुविधा आदि के लिए व्यवस्था की जायेगी/पहल की जायेगी।

**4.1.15** स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

**4.1.16** औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण का समुचित ध्यान रखा जावेगा । आवश्यकतानुसार एफ्यूलेंट ट्रीटमेंटप्लांट, हेजारड्सवेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सालिड वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकिल्ड जल उपयोग एवं सघन वृक्षारोपण तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित किया जावेगा।

**4.1.17** औद्योगिक क्षेत्रों/भूमि बैंक के निकटवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के आवासीय प्रयोजन हेतु शासकीय एजेंसियों यथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, अन्य शासकीय एजेंसियां तथा निजी क्षेत्र को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

## (4.2) औद्योगिक भूमि प्रबंधन :–

**4.2.1** औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) भूमि आबंटन हेतु नवीन भू–आबंटन नियम बनाये जायेगें तथा राज्य एवं जिला स्तर पर भू– आबंटन के अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण किया जावेगा।

**4.2.2** औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि आबंटन की दरों के निर्धारण की युक्तियुक्त पद्धति निर्धारित की जावेगी ।

**4.2.3** भूमि– शेड हस्तांतरण की दरों को युक्तिपूर्ण ढंग से संशोधित किया जावेगा।

**4.2.4** औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि, शेड– भवन रिक्त कराने हेतु तथा विभागीय देयताओं की वसूली हेतु सी.एस.आई.डी.सी./जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को क्रमशः बेदखली परिसर अधिनियम तथा राजस्व विभाग के अधिकार प्रत्यायोजित किये जायेंगें।

## (5) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को विपणन सहायता –

5.1 भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विपणन संरक्षण हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2012 से लागू "पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इण्टरप्राइजेस'' के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विपणन हितों के संरक्षण हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में प्लांट लेवल कमेटी का गठन किया जावेगा जिसमें संबंधित सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंध संचालक एवं औद्योगिक संघ भी सदस्य होंगे। स्थापित सहायक उद्योगों के हित संरक्षण का भी पूर्ण ध्यान रखा जावेगा।

5.2 राज्य में स्थापित/ स्थापनाधीन मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पर प्रभावकारी ढ़ंग से व्यवस्था की जावेगी कि वे अपनी परियोजना में लगने वाले सामग्रियों का क्रय राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से प्राथमिकता से करें ।

5.3 प्रचलित छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम में राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के संरक्षण/ प्रतिस्पर्धी बनाये जाने हेतु आवश्यक संशोधन किये जावेंगे।

5.4 छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का पालन राज्य के निगमों, मण्डल, बोर्ड एवं अन्य शासकीय संस्थाओं द्वारा लागू किये जाने हेतु प्रभावी प्रावधान किये जावेंगे।

5.5 राज्य के शासकीय विभागों में अनेक ऐसे सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिनका उत्पादन राज्य में प्रारंभ नहीं हो पाया है, ऐसे उद्योगों को राज्य में प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

## (6) उद्यमिता विकास

6.1 राज्य में उद्यमिता विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा औद्योगिक संभाव्य सर्वेक्षण, प्राथमिक एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, निवेश पूर्व अध्ययन, संभावित नये उद्यमियों का चयन एवं उनके परियोजनाओं के क्रियान्वयन, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग, टेक्नो इकानामिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने, औद्योगिक प्रबंधकीय एवं वित्तीय कन्सलटेन्ट के रूप में कार्य करने, इंजीनियरिंग कन्सलटेंसी सेवाएं प्रदान करने, परियोजना पर्यवेक्षण सेवाएं देने तथा उद्यमिता जागरूकता, उद्यमिता विकास, स्किल डेव्हलपमेंट कार्यक्रम, फैकल्टी डेव्हलपमेंट कार्यक्रम, ट्रेनर ट्रेनिंग कार्यक्रम, प्रबंधकीय प्रशिक्षण, विपणन सहयोग, वर्कशॉप, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आदि कार्यों हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ कंसल्टेंसी आर्गेनाईजेशन **(CGCON)** का गठन विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य शासकीय विभागों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में किया जावेगा।

6.2 युवाओं में उद्यमिता विकास हेतु विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों द्वारा किये जाने वाले उद्यमिता कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करते हुए एक वार्षिक कलेण्डर तैयार कर सम्पूर्ण राज्य में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जावेगा ।

6.3 राज्य में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की नवीन रूपरेखा बनायी जावेगी जिसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं औद्योगिक भ्रमण की व्यवस्था भी होगी ।

6.4 उत्पाद आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किये जावेंगे।

6.5 राज्य के उद्यमियों को प्रतिष्ठित ''इंटरप्रोन्यरशिप डेव्हलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद'' एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं में उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण हेतु भेजा जावेगा।

6.6 उद्यमिता विकसित करने हेतु अन्य तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थाओं की सेवाएं भी ली जावेगी तथा इन संस्थाओं में उद्यमिता विकास कार्यक्रम को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु समन्वय स्थापित किया जावेगा।

6.7 राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान तथा अन्य अनुमोदित एजेंसियों से जिले में संभावित उद्योगों के प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार कर उद्यमियों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

## (7) निर्यात

राज्य से सीधे निर्यात हेतु निम्नानुसार योजना क्रियान्वित की जावेगीः–

7.1 नया रायपुर में "एक्सपोर्ट फैसिलेटेशन सह कन्वेशन सेन्टर" की स्थापना।

7.2 रायपुर में एयरकार्गो की स्थापना कस्टम क्लियरेंस सुविधा के साथ प्रारंभ करवाना।

7.3 राज्य में निर्यात संभावित उत्पाद/सामग्री, निर्यात अधोसंरचना की आवश्यकता आदि का सर्वेक्षण कर कार्य योजना बनाना तथा निर्यात/आयात से संबंधित वेबसाइट का प्रभावी उपयोग करना।

7.4 राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने एवं उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु निर्यात संवर्धन परिषद्, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एवं राज्य शासन की एजेंसियों के समन्वित सहयोग से "जागरूकता कार्यक्रम" आयोजित किये जावेगें।

7.5 भारत सरकार की निर्यात संबंधी योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु उद्योग संचालनालय में "निर्यात प्रकोष्ठ" का गठन किया जावेगा।

7.6 राज्य से निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर कर छूट की युक्तियुक्त व्यवस्था लागू की जावेगी।

7.7 राज्य में निर्यात से संबंधित विनिर्माण उद्योगों को अधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिये जायेंगें।

7.8 इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो को सर्वसुविधायुक्त एवं विस्तारित करने हेतु आवश्यक पहल की जावेगी ।

7.9 रायपुर स्थित डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के कार्यालय को अपग्रेड करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा ताकि समस्त क्लियरेंस एक साथ हो सकें।

## (8) उद्योग मित्र

8.1 राज्य में औद्योगिक निवेश/विकास की सरलीकृत प्रक्रिया हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर रू. 10 करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं को उद्योग स्थापना की प्रारंभिक स्थिति से उद्योग स्थापना तक एवं उद्योग स्थापना के पश्चात् औद्योगिक निवेश की योजनाओं का लाभ देने हेतु विभागीय अधिकारियों को औद्योगिक इकाईवार ''उद्योग मित्र'' नामांकित किया जावेगा जो उद्यमियों को सम्पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

8.2 राज्य में स्थापित/स्थापनाधीन उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में उद्योग संवर्धन सहायता समिति, संचालनालय स्तर पर उद्योग आयुक्त/संचालक की अध्यक्षता में समन्वय समिति, औद्योगिक अधोसंरचना एवं विपणन की समस्याओं के निवारण हेतु सी.एस.आई.डी.सी. में प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में समन्वय समिति तथा शासन से संबंधित मुद्दों के निराकरण हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया जावेगा जिसकी बैठकें प्रत्येक तीन माह में की जावेगी।

8.3 राज्य स्तर पर उद्योग संचालनालय, सी.एस.आई.डी.सी., राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की कार्यप्रणाली को आधुनिक एवं कम्प्यूटराइज्ड किया जावेगा। प्रथमतः EM-Part I एवं EM-Part II को ऑनलाईन करने व तदोपरांत सभी आवेदन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त किये जाने तथा उनके निराकरण की कार्यवाही की जावेगी ।

8.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की पर्यावरणीय सम्मति के विकेन्द्रीकृत प्रावधानों का परीक्षण कर प्रचलित सूची को विस्तारित किया जावेगा।

8.5 औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–आबंटन, भू–हस्तांतरण, जल एवं विद्युत की दरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर औद्योगिक संघों का भी पक्ष सुना जाकर निर्णय लिये जावेंगें।

## (9) सिंगल विंडो प्रणाली

9.1 छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 के तहत् राज्य में सिंगल विंडो प्रणाली जिला एवं राज्य स्तर पर विकसित की जावेगी जिसके फलस्वरूप औद्योगिक निवेश से संबंधित समस्त प्रकार के क्लियरेंस यथा प्रमाण–पत्र, अनापत्ति, सहमति, नामांकन, पंजीयन, अनुमति, अनुमोदन, लायसेंस, आबंटन निर्धारित समयावधि में प्राप्त हो सकेंगे।

9.2 इस प्रणाली को ''मितान'' कहा जावेगा।

## (10) श्रम सुधार

10.1 श्रम सन्नियमों को सरलीकृत किये जाने हेतु आवश्यक पहल की जावेगी।

10.2 राज्य में स्थापित होने वाले विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों को भारत शासन की नीतियों के अनुसार श्रम सन्नियमों से मुक्त किया जावेगा।

10.3 श्रम सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु जिला स्तर पर गठित ''टास्क फोर्स'' जिसमें उद्योग विभाग, श्रम विभाग तथा औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, की बैठकें नियमित रूप से की जावेगी।

10.4 औद्योगिक दृष्टि से तीव्रता से विकास कर रहे जिलों में आवश्यकतानुसार श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने हेतु पहल की जावेगी।

10.5 श्रम कानूनों की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन की प्रक्रिया अपनाई जावेगी। ऑनलाइन नवीनीकरण की व्यवस्था होने तक 5 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण किया जावेगा।

## (11) मानव संसाधन विकास

राज्य में युवाओं के लिए "कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013" लागू है । कौशल विकास को औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए राज्य के आई. टी. आई., डिप्लोमाधारी एवं स्नातक इंजीनियर्स को राज्य में स्थापित औद्योगिक परियोजनाओं में एप्रेन्टिशिप एवं इन्टर्नशिप तथा व्होकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने हेतु प्रभावी पहल की जावेगी।

राज्य में नवीन आई. टी. आई. एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना हेतु, उद्योग आधारित नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु, कौशल उन्नयन के लिए डिग्री/डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स की शुरूआत करने तथा महिलाओं के कौशल विकास के संबंध में संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रयास किये जायेंगे ।

## (12) क्लस्टर विकास

राज्य में चांवल, पोहा, दाल, वायर ड्राइंग, रि–रोलिंग मिलें, स्टोन कटिंग एण्ड पॉलिशिंग, कोसा सिल्क, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग उत्पाद, लघु वनोपज आधारित उद्योग आदि क्लस्टर्स की पहचान की गई है। इनके विकास हेतु भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजनाओं के तहत् सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु ''मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्लस्टर विकास योजना'' प्रारंभ की जावेगी जिसमें भारत सरकार से स्वीकृत होने वाले क्लस्टर को राज्य शासन से भी 10% अनुदान दिया जावेगा जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 50 लाख प्रति क्लस्टर होगी।

## (13) ब्रांड – " विश्वसनीय छत्तीसगढ. "

13.1 राज्य की आर्थिक शक्तियों से देश व विदेश को परिचित कराने, देश तथा देश के बाहर के औद्योगिक घरानों को राज्य में विभिन्न सेक्टर यथा ऑटोमोबाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, व्हाईट गुड्स, अधोसंरचना विकास, पर्यटन, नवीन–नवीकरणीय ऊर्जा, हर्बल, लघु वनोपज आदि के क्षेत्रों में देशी एवं विदेशी पूँजी आकर्षित करने हेतु "रोड शो / इन्वेस्टर मीट" का आयोजन किया जावेगा।

13.2 राज्य की सम्पूर्ण ब्रांडिंग हेतु राज्य के "ब्रांड एम्बेसेडर" बनाये जाने हेतु आवश्यक पहल की जावेगी।

13.3 राज्य शासन की समग्र विकास की योजनाओं को राज्य के जन–जन तक पहुंचाये जाने हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

13.4 सम्पूर्ण राज्य में जिला स्तर पर एक साथ "उद्योग दिवस" मनाया जायेगा, जिसमें औद्योगिक विकास हेतु सेमीनार, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे तथा उद्यमी पुरस्कार वितरित किये जायेंगे।

**(14) उद्योगों के दायित्व :–**

14.1 उद्योगों को नियमानुसार राज्य शासन द्वारा लागू सी.एस.आर. पालिसी का पालन करना अनिवार्य होगा।

14.2 उद्योगों को अपने उद्योगों में राज्य के मूल निवासी स्नातक अभियंता, डिप्लोमा कोर्स, आई.टी.आई. उत्तीर्ण करने वाले युवकों को कुल नियोजन का क्रमशः 10%, 20% एवं 25% की संख्या में तीन माह से छः माह की अवधि में एप्रेन्टिशिप एवं इन्टर्नशिप देनी होगी।

**(15) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन –**

15.1 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में परिभाषाएं ''परिशिष्ट–1'' के अनुसार लागू होगी।

15.2 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन देने हेतु उद्योगों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

(1) **संतृप्त श्रेणी के उद्योग**– ''परिशिष्ट–2 अ'' सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची तथा ''परिशिष्ट–2 ब'' औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची। ''परिशिष्ट–2 अ'' में दर्शाये उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी परन्तु ''परिशिष्ट–2 ब'' में दर्शाये उद्योगों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों की पात्रता होगी।

(2) प्राथमिकता उद्योग – "Make In Chhattisgarh" की परिकल्पना के तहत राज्य में स्थापित कराये जाने वाले प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग जो औद्योगिक नीति, 2014–19 के परिशिष्ट–3 में सम्मिलित है ।

(3) **कोर सेक्टर के उद्योग**– कोर सेक्टर से आशय हैं मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स अंतर्गत स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्युमिनियम संयंत्र (परिशिष्ट–4 अनुसार)।

(4) **सामान्य श्रेणी के उद्योग** – संतृप्त श्रेणी के उद्योग, प्राथमिकता उद्योग तथा परिशिष्ट 4 में दर्शित कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योग ।

15.3 राज्य में औद्योगिक नीति के उदेश्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित रणनीति अपनाते हुए निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायतें ''परिशिष्ट–5'' अनुसार दी जावेगी।

राज्य में उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, विद्यमान उद्योगों में शवलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) हेतु सामान्य वर्ग के उद्यमियों को ब्याज अनुदान, स्थायी पूँजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क से छूट, औद्योगिक

क्षेत्रों में भूमि आबंटन पर भूमि प्रीमियम में छूट/रियायत, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में छूट, युक्तियुक्त भू–आबंटन सेवा शुल्क, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, प्रवेश कर भुगतान से छूट, विकलांग/निःशक्त रोजगार अनुदान दिये जावेंगे।

राज्य में स्थापित राईस मिलों को आधुनिकीकरण हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर किये गये पूंजी निवेश पर अधिकतम सीमा के अधीन औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनों की पात्रता होगी।

15.4 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ प्रारंभ करने वाले निवेशकों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले उपरोक्तानुसार कंडिका 15.3 में अंकित अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट दी जावेगी।

15.5 महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों को 15.3 में अंकित सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी ।

15.6 राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की धारा में लाने हेतु परिशिष्ट–6 अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के संबंध में विशेष आर्थिक पैकेज दिया जावेगा।

15.7 औद्योगिक परियोजनाओं/भूमि बैंक/औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु भू–अर्जन से प्रभावित कृषकों/विस्थापितों हेतु शासन की पुर्नवास नीति का पालन कराया जायेगा एवं प्राप्त क्षतिपूर्ति मुआवजा की राशि से कृषि भूमि क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी जायेगी ।

15.8 राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

भारत सरकार से स्वीकृत अनुदान यदि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक है तो राज्य शासन के अनुदान की पात्रता नहीं होगी किन्तु यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जावेगी।

15.9 औद्योगिक पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन राज्य एवं जिला स्तर पर किया जावेगा।

15.10 राज्य में लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना, पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज का विस्तार में

निवेश करने पर उन्हें भी औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी।

15.11 राज्य में "फिल्म उद्योग" के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में सामान्य लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी ।

15.12 राज्य के युवाओं में स्वउद्यमों के अवसरों में वृद्धि हेतु ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' प्रारंभ की जा चुकी है । इस योजना में इस नीति के अन्तर्गत निर्माण एवं सेवा उद्यमों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जावेंगे।

15.13 कोयला से द्रव्य ईंधन/गैस/पेट्रोलियम उत्पाद की उत्पादन तकनीक को प्राथमिकता से प्रोत्साहित किया जावेगा।

15.14 औद्योगिक विकास के आधार पर विकास खण्डों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है :–

1 **विकासशील क्षेत्र** – इस श्रेणी में राज्य के उन विकासखंडों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें औद्योगिक विकास प्रारंभ होकर सतत् रूप से प्रगति पर है, जो **परिशिष्ट–7** पर अंकित है ।

2 **पिछड़े क्षेत्र** – इस श्रेणी में अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों के समस्त विकासखंड एवं सामान्य जिलों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड समावेशित है, जो **परिशिष्ट– 8** पर अंकित है।

15.15 निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

1 सामान्य वर्ग के उद्यमी
2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी
3 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक निवेशक, विदेशी तकनीक वाले उद्योग
4 महिला उद्यमी
5 राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, निःशक्तजन

15.16 निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

1 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
2 मध्यम उद्योग
3 वृहद उद्योग
4 मेगा प्रोजेक्ट्स
5 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स

15.17 ''औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन'' नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, राईस मिलों के आधुनिकीकरण तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन) पर प्राप्त होंगे ।

15.18 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन उन्हीं पात्र उद्योगों को प्राप्त होगें जो नियोजन में, अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में

न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय / प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करेगें ।

15.19 जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों, मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध ई.एम. पार्ट –1 / आई.ई.एम./ आशय पत्र / औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो **अथवा** राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एमओयू जीवित हो किंतु औद्योगिक नीति 2009–2014 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें 31 अक्टूबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2009–2014 में प्रावधानित अनुदान/ छूट/ रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा ।

15.20 नियत दिनांक के पश्चात् स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

15.21 नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स जो राज्य में अब तक स्थापित नहीं हुए है, के औद्योगिक नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन से अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद में विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

15.22 राज्य में विभिन्न सेक्टरों में निवेश हेतु निम्नानुसार नीतियॉ बनाई गई हैं–

1. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012
2. ऑटोमोटिव उद्योग नीति, 2012

जिन उद्योगों ने उपरोक्त नीतियों में से जिस नीति के अंतर्गत एम.ओ.यू. निष्पादित किए हैं/ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम. धारक हैं, उन्हें उस नीति के अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं के साथ–साथ इस औद्योगिक नीति में घोषित वे अनुदान, छूट एवं रियायतें भी प्राप्त होंगी जो उस नीति में नहीं हैं।

15.23 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायतों की योजनाओं का लाभ पात्र उद्योगों को देने के लिये औद्योगिक नीति के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 03 माह के अन्दर अधिसूचनाएँ जारी की जायेगी, नियम बनाये जायेंगे तथा संगत कानूनों के अन्तर्गत प्रशासकीय निर्देश भी जारी किये जायेंगे ।

15.24 औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी के ऐसे उद्योग जिनकी नीतियॉ अन्य विभागों द्वारा तैयार की गई हैं, उनमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु वांछित राशि के लिए संबंधित विभागों द्वारा उनके बजट में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा।

## (16) उद्योगों को गैर वित्तीय सुविधाएं –

राज्य में तीव्र औद्योगिकीकरण, औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति एवं औद्योगिक निवेश की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रतिस्पर्धी बनाने परिशिष्ट– 9 अनुसार गैर वित्तीय सुविधाएं भी दी जावेंगी।

### (17) क्रियान्वयन अवधि व समीक्षा

औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2019 तक होगी । उद्योग स्थापना के पश्चात् दिये जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता हेतु 1 नवम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में उद्योगों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा तथा उद्योग स्थापना के पूर्व दिये जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 1 नवम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2019 तक ही प्राप्त होगें। 05 वर्षों की इस कालावधि में राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक नीति के प्रावधानों की समय–समय पर समीक्षा कर उसमें नये प्रावधानों का समावेश/संशोधन एवं अंकित प्रावधानों का विलोपन करे ।

————————————

# औद्योगिक नीति 2014– 19

परिभाषाएं :–

1. **''नियत दिनांक''** से आशय है – औद्योगिक नीति 2014–19 के प्रभावी होने का दिनांक अर्थात् 01 नवम्बर 2014,

2. **''औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र''** से आशय है **''परिशिष्ट–7''** में सम्मिलित क्षेत्र,

3. **''औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र''** से आशय है **''परिशिष्ट–8''** में सम्मिलित क्षेत्र,

4. **''औद्योगिक क्षेत्र''** से आशय है तथा इसमें सम्मिलित है– नियत दिनांक से पूर्व एवं पश्चात् के राज्य में स्थापित/स्थापनाधीन इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला, औधोगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र, एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के आधिपत्य में तथा संधारित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क तथा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, राज्य शासन/भारत सरकार से अनुमोदित/सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क/विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र, नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र तथा अंशतः औद्योगिक क्षेत्र (ऐसे उद्योग जिन्होने औद्योगिक क्षेत्रों में अंशतः भूमि आबंटन प्राप्त कर एवं अंशतः औद्योगिक क्षेत्रों से संलग्न भूमि क्रय कर उद्योग स्थापित किया जा रहा हो/उद्योग स्थापित किया हो )।

5. **"औद्योगिक इकाई"**– औद्योगिक इकाई से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो विनिर्माण/प्रसंस्करण/सेवा उद्यम के तहत् स्थापित है/प्रस्तावित है।

6. **''नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई''** (ग्रीन फील्ड उद्योग) से आशय ऐसे उद्योग (उद्यम) से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11.2014 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति ई0एम0 पार्ट–1/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर 2014 को/के पश्चात् तथा 31 अक्टूबर 2019 तक हो,

   ऐसे उद्योगों को भी नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई की श्रेणी में मान्य किया जावेगा जो दिनांक 01.11.2014 की स्थिति में वैध ई.एम. पार्ट–1/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करते हों, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर 2014 को/के पश्चात् तथा 31 अक्टूबर 2019 तक हो,

**6.1–** नवीन उद्योग की पात्रता हेतु निम्नांकित शर्तो की पूर्ति आवश्यक हैः–

(1) भूमि– एकल स्वामित्व के प्रकरणों में भूमि उद्योग के स्वामी/औद्योगिक इकाई के नाम पर हों। एकल स्वामित्व से भिन्न प्रकरणों में भूमि औद्योगिक इकाई के नाम से/ कम्पनी के नाम से होना अनिवार्य है।

(2) शेड–भवन – उपरोक्तानुसार भूमि पर नवीन शेड भवन निर्मित किया गया हो।

(3) प्लांट एवं मशीनरी– उपरोक्तानुसार भूमि एवं शेड भवन में नवीन प्लांट एवं मशीनरी स्थापित की गई हों।

**6.2** विद्यमान उद्योग के परिसर में विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किया गया उद्योग भी नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई की श्रेणी में मान्य किया जायेगा, यदि निम्नांकित शर्तों की पूर्ति होती हो–

(1) नियत दिनांक के पश्चात् नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम.पार्ट–1, आई.ई.एम., आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस धारित हो, या नियत दिनांक को नवीन उद्योग/नवीन औद्योगिक इकाई के नाम से जारी ई.एम. पार्ट–1, आई.ई.एम., आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस वैध हो ।

(2) भूमि– एकल स्वामित्व के प्रकरणों में भूमि उद्योग के स्वामी/औद्योगिक इकाई के नाम पर हों। एकल स्वामित्व से भिन्न प्रकरणों में भूमि नवीन औद्योगिक इकाई/ कम्पनी के नाम से होना अनिवार्य है।

(3) शेड भवन– उपरोक्तानुसार भूमि पर नवीन शेड भवन निर्मित किया गया हों।

(4) प्लांट एवं मशीनरी– उपरोक्तानुसार भूमि एवं शेड भवन में नवीन प्लांट एवं मशीनरी स्थापित की गई हों।

(5) नवीन उद्योग हेतु पृथक से उत्पादन, क्रय–विक्रय पंजियॉं संधारित की गई हो ।

(6) विद्यमान परिसर में स्थापित पूर्व विद्यमान उद्योग को प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित किसी अनुबंध/अधिसूचना का उल्लंघन न होता हो,

(7) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर उपरोक्त के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम.पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित हो,

**टीपः–** विद्यमान उद्योग/विद्यमान औद्योगिक इकाई में नवीन उत्पाद का समावेश नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य नहीं होगा।

7 ''**विद्यमान उद्योग/विद्यमान औद्योगिक इकाई**'' से आशय ऐसे उद्योग (उद्यम) से है जिसने औद्योगिक नीति 2001–06 के प्रभावी होने के दिनांक 01 नवम्बर, 2001 के पश्चात् एवं औद्योगिक नीति 2009–14 के समापन की तिथि 31 अक्टूबर, 2014 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ई0एम0 पार्ट–2/आई.ई.एम./आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित हो।

8 **''विद्यमान उद्योग के विस्तार''** से आशय है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों, वृहद उद्योगों, मेगा प्रोजेक्ट्स, अति वृहद उद्योगों / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में औद्योगिक नीति वर्ष 2014–19 के नियत दिनांक को/के पश्चात उत्पादनरत् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त निवेश करते हुए उद्योग विभाग से पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन (जो अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि होती हो तथा विस्तार के तहत् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01 नवम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2019 तक हो।

9 **अ. ''सूक्ष्म एवं लघु उद्योग''** से आशय है ऐसे उद्योग (उद्यम) से है जो भारत सरकार के ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006'' के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

**ब. ''सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम''** से आशय ऐसे उद्यम से है जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में सेवा श्रेणी के अंतर्गत हो एवं समय–समय पर जारी की गई सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1 धारित करता हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

10 **अ. ''मध्यम उद्योग''** से आशय ऐसे उद्योग (उद्यम) से है जो भारत सरकार के ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006'' के अन्तर्गत हो एवं जिसका पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिभाषाओं के अनुसार लघु उद्यमों हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित अधिकतम पूंजी निवेश से अधिक किंतु अधिकतम रु. 10 करोड़ तक हो तथा औद्योगिक इकाई ने सक्षम अधिकारी से यथास्थिति ई0एम0 पार्ट–1/ औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

**ब. ''मध्यम सेवा उद्यम''** मध्यम सेवा उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में मध्यम सेवा उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1 धारित करता हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

11 **''वृहद उद्योग''** से आशय ऐसे उद्योग से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रु. 10 करोड़ से अधिक तथा स्थायी पूंजी निवेश रु. 100 करोड़ तक हो (मेगा प्रोजेक्ट की परिभाषा के अंतर्गत व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण,

साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स को छोड़कर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी यथास्थिति आई0ई0एम0/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स धारित करता हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

12 **''मेगा प्रोजेक्ट''** से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 1000 करोड़ तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो या/एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो, किन्तु निम्नांकित सेक्टर में मेगा प्रोजेक्ट्स उन्हें मान्य किया जावेगा जिनका स्थायी पूंजी निवेश निम्नानुसार है :–

| क्र. | श्रेणी | स्थायी पूंजी निवेश |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रिानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद | रू0 50 करोड़ से 100 करोड़ तक |
| 2 | फार्मास्युटिकल उद्योग | रू0 15 करोड़ से 20 करोड़ तक |
| 3 | आई.टी.सेक्टर, बायो टेक्नॉलॉजी | रू0 15 करोड़ से 20 करोड़ तक |
| 4 | टेक्सटाईल | रू0 50 करोड़ से 100 करोड़ तक |
| 5 | नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, | रू0 30 करोड़ से 60 करोड़ तक |
| 6 | साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स | रू0 25 करोड़ से 100 करोड़ तक |

13 **''अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट''** से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने रूपये 1000 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम/औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र धारित करता हो या/एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो, किन्तु ''मेगा प्रोजेक्ट'' की उपरोक्त तालिका में दर्शित उद्योगों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा की राशि से अधिक राशि का स्थायी पूंजी निवेश होने पर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में मान्य किया जावेगा।

14 **''संतृप्त श्रेणी के उद्योग''** से आशय है राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–2 अ एवं परिशिष्ट–2 ब में सम्मिलित उद्योग ।

15 **''प्राथमिकता उद्योग''** से आशय है ''Make In Chhattisgarh'' की योजना के तहत राज्य में स्थापित कराये जाने वाले प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग जो औद्योगिक नीति, 2014–19 के परिशिष्ट–3 में सम्मिलित है ।

16 ''**कोर सेक्टर के उद्योग**'' से आशय है मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्युमिनियम संयंत्र (परिशिष्ट–4 अनुसार)।

17 **"सामान्य उद्योग" से आशय है –** परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–3 एवं परिशिष्ट 4 में दर्शित उद्योगों को छोड़कर शेष अन्य उद्योग ।

18 **''स्थायी पूंजी निवेश''** से आशय है किसी नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/विद्यमान उद्योग में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण यथास्थिति जो लागू हो, हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक भूमि/भूमि– विकास, शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति तथा बाउन्ड्रीवाल पर किये गये निवेश से है ।

**स्थायी पूंजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी –**

**(क)** सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यमों में उद्योग परिसर में वैध ई.एम. पार्ट– I/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् छः माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश।

**(ख)** मध्यम उद्योगों/मध्यम सेवा उद्यमों में उद्योग परिसर में वैध ई.एम. पार्ट– I/आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् बारह माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया पूंजी निवेश।

**(ग)** वृहद् उद्योगों में उद्योग परिसर में वैध आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् अठ्ठारह माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया पूंजी निवेश।

**(घ)** मेगा प्रोजेक्ट में उद्योग परिसर में वैध आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् चौबीस माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया पूंजी निवेश।

**(ड.)** अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में उद्योग परिसर में वैध आई.ई.एम./आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस जारी होने के दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य

प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् तीस माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया पूंजी निवेश।

**टीप —** कम्पनियों के अमलगमेशन/मर्जर से सृजित निवेश को स्थायी पूंजी निवेश में मान्य नहीं किया जावेगा।

19 ''**भूमि मूल्य**'' से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/विद्यमान उद्योग में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के भुगतान मूल्य से है तथा इसमें सम्मिलित है– भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/भू–प्रब्याजि तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि । भू–प्रब्याजि से आशय है भू आबंटन अधिकारी द्वारा आबंटित भूमि हेतु भुगतान की गई राशि (भू–भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य कर– उपकरों को छोड़कर)

**टीप–** निजी भूमि पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होना आवश्यक है।

20 ''**शेड–भवन**'' से आशय है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में भूमि पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, वाहन स्टैण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम ।

21 ''**विद्युत आपूर्ति निवेश**'' से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/ विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/विद्यमान उद्योग में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण हेतु विद्युत की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी को भुगतान की गयी राशि से है।

**टीप :** (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जायेगी।

**(2)** केप्टिव विद्युत संयंत्र को भी विद्युत आपूर्ति निवेश मद में मान्य किया जायेगा।

22 ''**जल आपूर्ति निवेश**'' से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/ विद्यमान उद्योग में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण हेतु औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में औद्योगिक उत्पाद हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया निवेश बशर्ते कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो। इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जायेगी।

23 ''**प्लांट एवं मशीनरी**'' से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयोगशाला एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना व परिवहन पर किये गये पूंजी निवेश/व्यय से है।

**टीप :** न्यूनतम 10 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए प्राप्त किए गए ऐसे लीज–होल्ड प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण, जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो, पर किया गया निवेश भी प्लांट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश मान्य होगा तथा उसका मूल्यांकन "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया" द्वारा जारी "एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (ए.एस.) 19 लीजेस की प्रक्रिया एवं मापदण्ड" के अनुसार किया जायेगा, किन्तु उसका लीज़ मूल्य किसी भी दशा में उस प्लांट/मशीनरी के मूल्य से अधिक नहीं लिया जायेगा ।

24 ''**वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक**'' से आशय है–

(क) **सूक्ष्म–लघु उद्योग–** औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 30 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो पहले हो।

(ख) **मध्यम उद्योग–** औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 60 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो।

(ग) **वृहद उद्योग–** औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 90 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो।

(घ) मेगा प्रोजेक्ट– व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता, फार्मास्युटिकल्, आई टी सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाइल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा साईकिल निर्माण/साईकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स के मेगा प्रोजेक्ट तथा 100 करोड़ से अधिक एवं 500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट। औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो पहले हों।

(ड.) रू. 500 करोड़ से अधिक एवं 1000 करोड़ रूपये तक के स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रोजेक्ट में औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।

(च) **अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट** रू. 1000 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में तथा व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स की श्रेणी में आने वाले अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में औद्योगिक इकाई द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 210 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।

**25 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र–**

(1) औद्योगिक इकाई की योजना अनुसार उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा ''वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र'' जारी किया जायेगा,

(2) औद्योगिक इकाई की योजनानुसार औद्योगिक इकाई के पक्ष में एक ही वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। चरणबद्ध उत्पादन करने पर तद्नुसार पूंजी निवेश, उत्पाद एवं वार्षिक उत्पादन क्षमता, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक एवं रोजगार की प्रविष्टियॉ की जायेगी।

(3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में ई.एम. पार्ट–2 जारी करने के साथ–साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी जारी किया जायेगा।

(4) वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा ।

(5) औद्योगिक इकाई की योजना से भिन्न उत्पाद का उत्पादन करने पर इसका समावेश वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में किया जायेगा, किंतु भिन्न उत्पाद पर किसी भी प्रकार के अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता नहीं होगी।

**टीपः– यह स्पष्ट किया जाता है कि**

1– इस नीति के अन्तर्गत यदि कोई उद्यमी "विद्यमान उद्योग/औद्योगिक इकाई" की परिभाषा में नहीं आता किन्तु उद्योग में विस्तार करता है चाहें विद्यमान उद्योग के विस्तार की परिभाषा की परिधि में आता हो अथवा न आता हो, इसकी प्रविष्टियाँ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में की जावेगी व इस आशय का प्रमाणन भी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में किया जावेगा।

2– आधुनिकीकरण से संबंधित प्रविष्टियां एवं प्रमाणन वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में की जावेगी।

26 **''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी''** से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की परिभाशा के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित जाति/जनजाति का हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में आने बाबत् स्थायी प्रमाण–पत्र भी धारित करता हो ।

27 **''अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/स्थापित उद्योग''** से आशय ऐसे उद्योग से है जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं राज्य के मूल निवासी द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो/स्थापित हो, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हो, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो एवं यथास्थिति वैध ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/ आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण–पत्र भी धारित करते हो।

28 ''**विनिर्माण उद्योग**'' से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विनिर्माण की श्रेणी में आने वाले उद्योग ।

29 ''**जाब वर्क**'' से आशय है ऐसा क्रियाकलाप या गतिविधि जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जावे ।

30 ''**योजना**'' से आशय है –

(अ) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों में सक्षम प्राधिकारी को दाखिल ई0एम0 पार्ट–1/आई0ई0एम0/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस हेतु दिये गये आवेदन/आवेदन के साथ संलग्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट में औद्योगिक इकाई द्वारा दर्शायी गयी उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर)।

(ब) मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स में राज्य शासन के साथ निष्पादित एम0ओ0यू0 में उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) या भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आई.ई.एम./ औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र जारी करने हेतु दिये गये आवेदन/ जारी अभिस्वीकृति में उद्योग की परियोजना लागत, जो कम हो (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) ।

**टीप**– विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योगों में शवलीकरण/राईस मिलों के आधुनिकीकरण के प्रकरणों में पृथक योजना बनाकर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

31 ''**महिला उद्यमी**'' से आशय राज्य की मूल निवासी ऐसी महिला से है, जिसने उद्योग स्थापित करना प्रस्तावित किया हो/स्थापित किया हो, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में 51 प्रतिशत अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं हों एवं उनके उद्योग में नियोजित कुल रोजगार के न्यूनतम 25 प्रतिशत महिलाएं प्रबंधकीय, कुशल एवं अकुशल श्रेणी में कार्यरत हो।

32 ''**विकलांग/ निःशक्त**'' से आशय राज्य के उस मूल निवासी से है, जो भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की परिधि में आता हो एवं इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र धारित करता हो।

33 ''**सेवा निवृत्त सैनिक**'' से आशय है जो भारत सरकार की सशस्त्र सेनाओं/अर्द्धसैनिक बल से सेवा निवृत्त हुआ हो एवं तदाशय का संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यालय से प्रमाण–पत्र धारित हो एवं राज्य का मूल निवासी हो।

34 ''**नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति**'' से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों में शहीद / विकलांग हुए व्यक्ति अथवा / एवं उसके परिवार का सदस्य हो एवं राज्य का मूल निवासी हो व इसमें सम्मिलित है पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री एवं माता–पिता, इस प्रयोजन हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारित हो ।

35 ''निर्यातक उद्योग'' से तात्पर्य उस उद्योग से है जिसके पक्ष में भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा L.O.P. (लेटर ऑफ परमिशन) जारी किया गया हो।

36 ''100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग'' से आशय ऐसे निर्यातक उद्योग से है जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई परिभाषा के अंतर्गत आता हो ।

37 **''शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन)''** से आशय ऐसे उत्पादनरत् विद्यमान उद्योग से है जो विद्यमान उद्योग की श्रेणी में आता हो तथा सक्षम प्राधिकारी से ई.एम.पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो, यदि औद्योगिक नीति 2014–19 के नियत दिनांक के पश्चात अपने विद्यमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है तो नवीन उत्पाद शवलीकृत श्रेणी में आयेगा बशर्ते कि औद्योगिक इकाई ने नियत दिनांक 01 नवम्बर 2014 के पश्चात् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत पूंजी निवेश किया हो तथा कुल रोजगार में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो । इसके लिए 31 अक्टूबर, 2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा ।

38 ''**सावधि ऋण**'' सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित/ पंजीकृत/अनुज्ञप्ति प्राप्त बैंक/वित्त निगम/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम/ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम/अन्य निगम/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/ नागरिक सहकारी बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋण (इसमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का क्रय मूल्य एवं स्थापना व्यय भी सम्मिलित किया जायेगा) ।

39 **''परियोजना प्रतिवेदन'' –** परियोजना प्रतिवेदन से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना हेतु राज्य शासन के किसी विभाग/बोर्ड, उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम संस्थान, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट या निजी क्षेत्र के किसी कन्सलटेन्ट/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/चार्टर्ड इंजीनियर से तैयार कराया गया परियोजना प्रतिवेदन जिसमें परियोजना के वित्तीय स्वरूप के अतिरिक्त कच्चा माल की उपलब्धता, विपणन की संभावनाएं, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी अध्ययन, लाभ–हानि, शासन की नीतियों आदि का भी उल्लेख हो।

40 **कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय/प्रबंधकीय पद** की वही परिभाषा मान्य की जायेगी जो राज्य शासन द्वारा समय –समय पर जारी की जावे।

41 **अप्रवासी भारतीय** की वही परिभाषा मान्य होगी जो भारत सरकार द्वारा समय – समय पर जारी की जावे।

42 **एफडीआई निवेशक** की वही परिभाषा मान्य होगी जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की जावे ।

43 **विदेशी तकनीक से संबंधित उद्योग** से आशय ऐसे उद्योग से है जिसे भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक परियोजना स्थापित करने हेतु क्लियरेन्स दिया हो।

44 **राज्य के मूल निवासी** से अभिप्रेत है जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय–समय पर राज्य के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जावे तथा जो इसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारित करता हो ।

45 **"बंद औद्योगिक इकाई"** –

1. उद्योग विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान, छूट एवं रियायतों के प्रकरणों में बंद औ़द्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई जो स्थापित है व उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित है तथा उद्योग स्थापना के पश्चात् मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को समुचित एवं मान्य कारण सूचित किये बिना छः माह से अधिक की अवधि हेतु लगातार बंद है।
2. उपरोक्त 1 से भिन्न प्रकरणों में बंद/बीमार औद्योगिक इकाई से आशय ऐसी बंद/बीमार औद्योगिक इकाईयों से है जो कि औद्योगिक वित्त एवं पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) या किसी परिसमापक को निर्दिष्ट की गई हो, या वित्तीय संस्थाओं या बैंको द्वारा अधिग्रहित की गई हो या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित बीमार उद्योग की श्रेणी में आती हो अथवा राज्य स्तरीय समिति द्वारा बंद/बीमार घोषित की गई हो।

46 **उद्योग परिसर** – उद्योग परिसर से आशय है राज्य शासन/उद्योग विभाग की किसी एजेंसी द्वारा औद्योगिक परियोजना की स्थापना हेतु/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित भूमि एवं/या वैध रूप से क्रय की गई भूमि की चर्तुसीमा।

**टीपः–** इस चर्तुसीमा में वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन की भूमि सम्मिलित नहीं होगी।

47 **"ग्रामोद्योग"** से आशय है कि ग्रामोद्योग का कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग कोई माल तैयार करता हो या सेवा प्रदान करता हो, जिसमें स्थाई पूंजी राशि रू. 50,000/– के निवेश से एक कारीगर या श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराता है।

48 **"ग्रामीण क्षेत्र"** से आशय है ऐसा कोई भी क्षेत्र जो जनसंख्या के अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांवों की परिभाषा के अंतर्गत आता हो, या कोई नगरीय क्षेत्र जो 2011 की जनगणना या केन्द्र सरकार द्वारा समय– समय पर बनाये गये आंकड़ों अनुसार जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक न हों।

49 **"ग्रामोद्योग इकाई"** से आशय है कोई भी ग्रामोद्योग इकाई जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्गीकृत इकाई की स्थापना (प्रतिबंधात्मक/नकारात्मक उद्योग को छोड़ कर) ।

50 **राईस मिलों का आधुनिकीकरण**– से आशय है विनिर्माण/उत्पादन से संबंधित स्थापित उद्योगों में स्थापित मशीनों में कुछ नवीन मशीनें/उपकरण जोड़कर या स्थापित मशीनों के स्थान पर नवीन तकनीकी वाली वैसी ही मशीनों की स्थापना करना है, जिससे उत्पाद की किस्म में सुधार हो या उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती हो या निर्मित उत्पाद की उत्पादन लागत में कमी आयें या अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता हों।

टीपः– राईस मिलें उद्योग विभाग/खाद्य विभाग में कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत हो तथा आधुनिकीकरण की परिभाषा के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रूपये 100 लाख का निवेश करते हुये नियत दिनांक के पश्चात् आधुनिकीकरण को पूर्ण करती हों।

51 **स्थायी रोजगार** – स्थायी रोजगार से आशय औद्योगिक इकाई द्वारा पंजीकृत स्थापित उद्योग में प्रबंधन/कुशल श्रम/अकुशल श्रम की श्रेणी में अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को उनकी सेवाओं हेतु सीधे दिये जाने वाले वेतन/पारिश्रमिक अर्थात् इसमें ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया गया रोजगार सम्मिलित नही होता।

52 ''**भूमि बैंक**'' से आशय है, औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर विनिर्माण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली निजी भूमि एवं शासकीय भूमि।

53. **व्हाईट गुड्स** – व्हाईट गुड्स से आशय है व इसमें सम्मिलित है – एयर कंडीशनर, रेफ्रीजरेटर, वाशिंग मशीन, टेलीविजन सेट आदि।

**टीप**– उपर्युक्त परिभाषाओं के संबंध में विवाद की स्थिति में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

---

परिशिष्ट–2

## संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची)

**(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची –**

(1) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग
(2) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
(3) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
(4) आरा मिल (सॉ मिल)
(5) लेदर टैनरी
(6) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)
(7) किसी भी उत्पाद की रि–पैकिंग
(8) मिनरल वाटर
(9) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
(10) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
(11) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राईडिंग/पलवराइजिंग
(13) स्टोन क्रेशर/ गिट्टी निर्माण
**(14)** स्पंज आयरन
(15) क्लिंकर
(16) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

**(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची –**

(1) राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग
(2) हालर मिल
(3) मुरमुरा मिल
(4) राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
(5) खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी
(6) मिनी सीमेंट प्लांट
(7) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

**टीप** – संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

<u>परिशिष्ट–3</u>

## प्राथमिकता उद्योगों की सूची

### (अ) वर्गीकरण के आधार पर –

1 हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज पर आधारित उद्योग
2 आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स
3 साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद / उपकरण / स्पेयर्स
4 प्लांट / मशीनरी / इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
5 नॉन फेरस मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद
6 एल्युमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
7 भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल, पेडी परबायलिंग एण्ड क्लीनिंग, हालर मिल, मुरमुरा मिल तथा राईस ब्रान साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट एवं खाद्य तेल की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई) / रिफाईनरी को छोड़कर)
8 ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
9 फार्मास्यूटिकल उद्योग
10 एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज मेडीसिन का निर्माण
11 व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद
12 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग
13 जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद
14 टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)
15 रेल्वे, अंतरिक्ष, रक्षा संस्थानों / विभागों, दूरसंचार एवं विमानन कंपनियों को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद / उपकरण / स्पेयर्स
16 नवीन एवं नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी तथा उपकरण ।
17 विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण हेतु लगने वाले मशीनरी एवं उपकरण
18 जेम्स एवं ज्वेलरी
19 मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
20 स्पोर्टस गुड्स।
21 निजी क्षेत्र में विदेशी तकनीक से विदेशी कम्पनी एवं भारतीय कम्पनी के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले उद्योग।
22 कोयले से द्रव्य ईंधन / गैस / पेट्रोलियम उत्पाद
23 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें ।

**टीप–** प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा ।

**(ब) उत्पाद आधारित**

1 एच0डी0पी0ई0 बैग्स एवं पाईप्स
2 मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी0व्ही0सी0 पाईप्स एवं फिटिंग, हाउस होल्ड प्लास्टिक के आयटम
3 ट्रान्समीशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण
4 स्व–चालित कृषि यंत्र, ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स/एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स
5 बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
6 लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)
7 फ्लाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)
8 रेडीमेट गारमेन्ट्स (केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले)
9 सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स
10 निर्यातक उद्योग एवं 100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग
11 वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
12 कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स
13 फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, ग्रेनाईट पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, मार्बल पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग, अन्य मिनरल राक की कटिंग एवं पालिशिंग तथा टाईल्स निर्माण
14 पोलिस्टर स्टेपल फाईबर
15 ग्रामोद्योग इकाईयां यथा पेन निर्माण, झालर निर्माण, अगरबत्ती, दोना पत्तल निर्माण, पशु आहार,साबुन एवं वाशिंग पावडर, फिनाईल, स्कूल बैग, सी.एफ.एल. बल्ब, स्टील विण्डो/डोर/रोलिंग शटर्स एवं अन्य जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश 10 लाख रूपये हो।
16 सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 10 लाख)
17 वूडन सिजनिंग एवं केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट (प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 25 लाख हो ),
18 हेंड पंप
19 सबमर्सिबल पंप
20 इलेक्ट्रिक मोटर
21 ग्रेन साइलो
22 प्रीफेब्रीकेटेड बिल्डिंग सामग्री
23 पेन्ट/डिस्टेम्पर
24 पोहा
25 नान प्लास्टिक बैग्स
26 ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएं

**टीप–** प्राथमिकता श्रेणी की पात्रता के लिए प्लांट एवं मशीनरी मद में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा या उससे अधिक का पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा ।

<u>परिशिष्ट–4</u>

## कोर सेक्टर के उद्योग

कोर सेक्टर की श्रेणी में निम्नांकित मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स आयेगें –

1. स्टील संयंत्र
2. सीमेंट संयंत्र
3. ताप विद्युत संयंत्र
4. एल्युमिनियम संयंत्र

**टीप** 1. – कोर सेक्टर के उद्योगों को स्टाम्प शुल्क से छूट, प्रवेश कर भुगतान से छूट एवं विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त इन्हें इस औद्योगिक नीति में प्रावधानित अन्य कोई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

**2.** औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि में भारत सरकार द्वारा गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू करने पर प्रवेश कर भुगतान से छूट नियत दिनांक 01 नवम्बर 2014 से गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू होने की तिथि तक सीमित होगी।

---

# औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन (अनुदान, छूट एवं रियायतें)

**1– ब्याज अनुदान :–**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र उद्योगों द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा –

**क– सूक्ष्म एवं लघु उद्योग**

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक । | 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 15 लाख वार्षिक । |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक । | 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक । |

ख– मध्यम एवं वृहद उद्योग

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 25 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक । | 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक । |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक । | 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक । |

**ग–** मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्टिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बायो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा साइकिल निर्माण एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक । |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | 8 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रु. 100 लाख वार्षिक । |

2– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जायेगा –

क– सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 30 लाख | स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 60 लाख, |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 60 लाख, | स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 80 लाख, |

ख– मध्यम उद्योग –

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 60 लाख | स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 70 लाख |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट––8 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू. 70 लाख | स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम, रू. 100 लाख |

ग– वृहद उद्योग –

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 90 लाख | स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 110 लाख |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट––8 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू. 100 लाख, | स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम, रू. 120 लाख |

घ– मेगा / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)–

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 350 लाख |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम, रू. 500 लाख |

**3– विद्युत शुल्क छूट :–**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

**क– सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग**

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट |

**ख– मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)**

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट |

**नोट** – केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

**4– स्टाम्प शुल्क से छूट –**

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को (कोर सेक्टर के उद्योग सहित परिशिष्ट –4 अनुसार) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी –

4.1 (अ) भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर एवं हस्तांतरण से संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)

(ब) ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

4.2 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू–खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/ क्रय की गई भूमि के प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की

सीमा तक भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर, (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)

4.3 भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु कय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग

4.4 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू–खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों, भूमि बैंक एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा क्रय/लीज पर ली जाने वाली भूमि पर

4.5 बंद/बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर क्रय–विक्रय से संबंधित विलेखों पर

4.6 फिल्म स्टूडियों, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना हेतु कय/पट्टे पर ली गई भूमि पर

4.7 लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि पर ।

**5 – औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायतः–**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन में भू–प्रीमियम पर निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –

(अ) **सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग –**

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | निरंक | भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | भू–प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट | भू–प्रब्याजि में 60 प्रतिशत छूट |

**(ब)** वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर):–

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | भू–प्रब्याजि में 20 प्रतिशत छूट |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | भू–प्रब्याजि में 25 प्रतिशत छूट |

**6– परियोजना प्रतिवेदन अनुदान –**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दिया जायेगा –

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2 लाख |

**7– भूमि उपयोग में परिवर्तन–**

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू–उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी ।

**8– औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) भू–आवंटन सेवा शुल्क :–**

(1) औद्योगिक प्रयोजनार्थ (भूमि बैंक) हेतु निजी भूमि के अर्जन एवं शासकीय भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों में उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क निम्नानुसार रहेंगे –

क– निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू–अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि,

ख– निजी/ शासकीय भूमि के आबंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 10 प्रतिशत राशि,

**टीपः** यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर किये जाने वाले निजी/शासकीय भू–आवंटन प्रकरणों में भूमि मूल्य में उद्योग विभाग/सी.एस.आई. डी.सी. को देय 10 प्रतिशत भू–आवंटन सेवा शुल्क जोड़ा जायेगा । जिला प्रशासन को देय 5 प्रतिशत भू–अर्जन शुल्क भू–प्रब्याजि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

**9– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान–**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई0एस0ओ0– 9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, उर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई), नवीन एवं नवकरणीय उर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/ अन्र्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू. 1 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रत्येक प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

**10— तकनीकी पेटेन्ट अनुदान —**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 5 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

**11— प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान —**

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

**12— मार्जिन मनी अनुदान —**

राज्य के महिला उद्यमी, सेवा निवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जावेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 35 लाख होगी।

**13— औद्योगिक पुरस्कार योजना —**

**13.1** राज्य स्तर पर

निम्नांकित श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा —

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु,
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग

**13.2** जिला स्तर पर

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार दिया जावेगा, जिसकी पुरस्कार राशि रू. 25,000 एवं प्रशस्ति पत्र होगा।

राज्य एवं जिला स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार उन उद्योगों हेतु नहीं होगे जो राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में अपात्र/ संतृप्त उद्योगों की श्रेणी में हो।

**14 प्रवेश कर भुगतान से छूट —**

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर परिशिष्ट—4 में दर्शित स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमीनियम संयंत्र सहित) को निम्न विवरण अनुसार प्रवेश कर भुगतान से छूट दी जायेगी—

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग | प्राथमिकता उद्योग |
|---|---|---|
| औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार) | प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/ मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 5 वर्ष तक छूट | प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/ मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 6 वर्ष तक छूट |
| औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार) | प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/ मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 6 वर्ष तक छूट | प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/ मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने पर 7 वर्ष तक छूट |

**टीप –** 1. कोर सेक्टर की श्रेणी में आने वाले उद्योगों को सामान्य उद्योगों की भांति प्रवेश कर से छूट प्राप्त होगी।

2. औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि में भारत सरकार द्वारा गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू करने पर प्रवेश कर भुगतान से छूट नियत दिनांक 01 नवम्बर 2014 से गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) लागू होने की तिथि तक सीमित होगी।

## 15 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान –

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर परिशिष्ट–4 में दर्शित स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमीनियम संयंत्र सहित) को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति तब तक की जावेगी जब तक उन्हें स्थायी नौकरी में रखा जाता है।

**16 इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)–**

16.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है एवं कार्बन फूटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।

16.2 विश्व स्तरीय संस्थानों द्वारा कार्बन क्रेडिट के संबंध में दिये जाने वाले अनुदानों की प्राप्ति हेतु कंस्लटेन्ट्स को सूचीबद्ध किया जायेगा।

———————————————

# अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को विशेष आर्थिक पैकेज

विशेष आर्थिक पैकेज के तहत् निम्नानुसार अनुदान छूट एवं रियायतें तथा भूमि आबंटन आदि की सुविधा दी जावेगी :–

1– **ब्याज अनुदान :–**

पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

क– **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग–** औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 20 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 50 लाख वार्षिक।

ख– **मध्यम एवं वृहद उद्योग–** औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रू. 60 लाख वार्षिक।

ग– मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट् (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नालॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत – अधिकतम सीमा रु. 70 लाख वार्षिक । |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | 8 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रु. 120 लाख वार्षिक । |

**2— स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :—**

**क— सूक्ष्म एवं लघु उद्योग**— औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम 80 लाख रूपये।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम 80 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम 120 लाख रूपये।

**ख— मध्यम उद्योग** — औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 80 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रूपये।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 90 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम 125 लाख रूपये।

**ग— वृहद उद्योग** — औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 100 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 120 लाख रूपये।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 120 लाख रूपये तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम 140 लाख रूपये।

घ— मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर):—

| **क्षेत्र** | |
|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट—7 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 350 लाख |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट—8 के अनुसार)** | स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम, रू. 500 लाख |

**3— परियोजना प्रतिवेदन अनुदान—**

राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति — औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1.50 लाख तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2.50 लाख ।

**4– विद्युत शुल्क छूट (केवल नवीन उद्योगों हेतु )–**

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी के सामान्य उद्योगों एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी में सामान्य उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनाँक से 10 वर्ष तक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनाँक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी।

मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) –

| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| **औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)** | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट |
| **औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)** | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट |

**टीप –** केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

**5– औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत** (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों के लिए) :–

(1) उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू–भाटक की दर 1 रू0 प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखने की पूर्व नीति यथावत रहेगी ।

आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक की पूर्व नीति यथावत रहेगी ।

(3) अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाये जायेंगे ।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि–शेड नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(5) प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जावेगा।

(6) मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स के परिशिष्ट 4 में दर्शित कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को भू–प्रीमियम एवं भू–भाटक में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी ।

**6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान–**

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई0एस0ओ0– 9000, आई0एस0ओ0– 14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस. ओ. 22000 श्रेणियां, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, उर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई), नवीन एवं नवकरणीय उर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू. 1.25 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

**7– तकनीकी पेटेन्ट अनुदान –**

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 6 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

**8– प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान –**

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत या अधिकतम रू0 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

**9– मार्जिन मनी अनुदान –**

रू. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के उद्योगों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उप योजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना से दिया जायेगा, अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 40 लाख होगी ।

**10– औद्योगिक पुरस्कार योजना –**

प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जावेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1.00 लाख, 0.51 लाख व 0.31 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

**11– अन्य आर्थिक प्रोत्साहन –**

उपरोक्त विशेष औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति निम्नानुसार औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे :–

11.1 स्टाम्प शुल्क से छूट

11.2 प्रवेश कर भुगतान से छूट

11.3 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान

11.4 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान) (केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए)

**टीपः—** नियत दिनांक के पश्चात् स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पॉर्कों एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पॉर्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो भू—आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

## परिशिष्ट–7

### औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1– | जिला रायपुर – | विकास खण्ड–धरसीवां, तिल्दा, अभनपुर |
| 2– | जिला बलौदाबाजार–भाटापारा – | विकासखण्ड – बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा |
| 3– | जिला बिलासपुर – | विकासखंड– बिल्हा, कोटा, तखतपुर, |
| 4– | जिला दुर्ग – | विकास खंड – धमधा, पाटन, दुर्ग |
| 5– | जिला राजनांदगांव – | विकास खंड – राजनांदगांव। |
| 6– | जिला महासमुंद – | विकास खंड– महासमुंद |
| 7– | जिला धमतरी – | विकास खण्ड– धमतरी |
| 8– | जिला जांजगीर–चांपा – | विकास खण्ड– अकलतरा, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), सक्ती, एवं बलोदा |
| 9– | जिला रायगढ – | विकास खण्ड– रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया। |
| 10– | जिला कोरबा – | विकास खण्ड– कोरबा, कटघोरा। |

परिशिष्ट–8

## औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1– | रायपुर जिला – | आरंग विकासखंड |
| 2– | बलौदाबाजार–भाटापारा जिला – | कसडोल, बिलाईगढ़, पलारी विकासखंड |
| 3– | बिलासपुर जिला– | गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तूरी विकासखंड । |
| 4– | मुंगेली जिला– | मुंगेली, पथरिया, लोरमी विकासखंड। |
| 5– | बालोद जिला – | बालोद, डौंडी,, डौंडीलोहारा, गुंडरदेही एवं गुरूर विकासखंड । |
| 6– | बेमेतरा जिला– | बेमेतरा, साजा, नवागढ एवं बेरला विकासखंड। |
| 7– | राजनांदगांव जिला – | अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान,डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखंड। |
| 8– | महासमुंद जिला– | बसना, पिथौरा, बागबाहरा एवं सराईपाली विकासखंड। |
| 9– | धमतरी जिला – | नगरी, मगरलोड, कुरूद विकासखंड। |
| 10– | जांजगीर–चांपा जिला– | मालखरौदा, जैजेपुर, डभरा एवं पामगढ़ विकासखंड। |
| 11– | रायगढ़ जिला– | धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड। |
| 12– | कोरबा जिला– | करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड। |
| 13– | गरियाबंद जिला – | गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, फिंगेश्वर विकासखण्ड |
| 14– | कबीरधाम जिला– | कवर्धा, पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड। |

15– उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरिया के समस्त विकासखंड

**परिशिष्ट–9**

## गैर वित्तीय सुविधाएं :–

1. भूमि व्यपवर्तन हेतु व्यपवर्तन के संपूर्ण अधिकार जिला स्तर पर संबंधित जिले के कलेक्टर को दिये जावेंगें तथा भू व्यपवर्तन के पश्चात् भू–राजस्व का पुर्ननिर्धारण भी कलेक्टर द्वारा 30 दिवसों की समय–सीमा में किया जावेगा। इस बाबत् आवश्यक संशोधन भू–राजस्व संहिता में किये जावेंगें।
2. औद्योगिक परियोजनाओं/उद्योगों की स्थापना हेतु स्थानीय निकायों (नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत) द्वारा लिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने /डीम्ड अनापत्ति मान्य किये जाने/ग्रामीण आबादी से 2 किलोमीटर दूर उद्योगों की स्थापना पर अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने बाबत् यथोंचित संशोधन संबंधित अधिनियमों में किये जावेंगें।
3. औद्योगिक परियोजनाओं/उद्योगों की स्थापना हेतु वांछित क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल व सुसाम्य बनाने हेतु निम्नानुसार संशोधन किये जायेंगें :–

   3.1 छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं सरंक्षण मण्डल द्वारा उद्योगों को दी जानी वाली परिचालन सम्मति की नवीनीकरण की अवधि बढ़ाकर रेड श्रेणी के उद्योगों के लिए 5 वर्ष, आरेंज श्रेणी के उद्योगों लिए 10 वर्ष तथा ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के लिए 15 वर्ष की अवधि हेतु दी जावेगी।

   3.2 एक ही परिसर में किये जाने वाले क्रियाकलापों के लिए पृथक–पृथक परिचालन सम्मति के स्थान पर सम्मतियों को एकीकृत कर एकल प्रमाण–पत्र जारी किये जावेंगें एवं भविष्य में परिचालन सम्मति एक ही होगी।

   3.3 इलेक्ट्रिकल लाइसेंस का नवीनीकरण 5 वर्ष की अवधि हेतु किया जावेगा।

   3.4 छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियमों के अन्तर्गत समस्त उद्योगों के लिए भण्डारण अनुज्ञा पत्र की अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष की जावेगी।

   3.5 भारतीय बायलर अधिनियम के अन्तर्गत बायलर के नवीनीकरण प्रमाण–पत्र के लिए निरीक्षण तृतीय पक्ष अर्थात् प्रशिक्षित इंजीनियरों के द्वारा किया जावेगा व इस व्यवस्था हेतु अधिसूचना जारी की जावेगी।

   3.6 किसी औद्योगिक इकाई के स्वरूप (एकल स्वामित्व साझेदारी प्राइवेट लिमिटेड) का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) में परिवर्तन होने पर उनके पंजीयन हेतु स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में परीक्षण किया जावेगा।
4. औद्योगिक परियोजनाओं/उद्योगों की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली कृषि भूमि को कृषि जोत सीमा अधिनियम से छूट देने बाबत् परीक्षण कर आवश्यक संशोधन किये जायेंगें।
5. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा अनुमोदित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य स्थानीय निकायों द्वारा दोहरा करारोपण न किया जावे इस हेतु समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को को स्थानीय निकायों की परिधि से बाहर रखने हेतु परीक्षणोपरान्त संबंधित अधिनियमों में यथोचित संशोधन किये जावेंगें/अधिसूचनाएं जारी की जावेगी।
6. औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग विभाग/उसकी किसी एंजेंसी के माध्यम से आबंटित भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रचलित भू–हस्तांतरण शुल्क में कमी की जावेगी।

395

**छत्तीसगढ़ शासन**
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक जुलाई, 2018

क्रमांक एफ 20–36/2014/11/6 : चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में प्रावधानित निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिये राज्य शासन एतद द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में निम्नलिखित संशोधन करती है,
अर्थात :–

संशोधन

(एक) औद्योगिक नीति 2014–19 की कंडिका 4.1.9 को यथावत् बनाये रखते हुये निम्नानुसार उप–पैरा जोड़ा जाये :–

*" उक्त आरक्षित 20 प्रतिशत भूमि में से 5 प्रतिशत भूमि निःशक्तजनों उद्यमियों हेतु प्रथम विज्ञापन दिनांक से 3 वर्ष तक के लिये आरक्षित रखी जायेगी। 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त आरक्षित भूमि के शेष बचे भूखण्डों को अन्य वर्गों के उद्यमियों को आबंटित किया जा सकेगा। "*

(दो) औद्योगिक नीति 2014–19 की कंडिका 15.5 में से निःशक्त शब्द विलोपित कर शेष को यथावत् बनाये रखते हुये निम्नानुसार उप–पैरा जोड़ा जाये :–

'औद्योगिक नीति 2014–19 की कंडिका *15.3 अनुसार सामान्य उद्यमियों को देय अनुदान से निःशक्त व्यक्तियों को उद्योग की स्थापना पर 25 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 25 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी।"*

(तीन) औद्योगिक नीति 2014–19 की कंडिका 15.12 को यथावत् बनाये रखते हुये निम्नानुसार उप–पैरा जोड़ा जाये :–

*" मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों में से 5 प्रतिशत लक्ष्य निःशक्तजन उद्यमियों हेतु आरक्षित रहेगा किन्तु इस वर्ग के उपयुक्त उद्यमी वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास तक उपलब्ध न होने की दशा में लक्ष्य की पूर्ति अन्य वर्गों के उद्यमियों से की जा सकेगी।"*

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(व्ही.के.छबलानी)**
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

...2...

Scanned by CamScanner

पृष्ठा. क्र. एफ 20–36/2014/11/6
प्रतिलिपि :–

नया रायपुर दिनांक 20 जुलाई, 2018

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 नया रायपुर
2. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
3. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ..........................

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

855
23-7

20 JUL 2018